

कार्यालय नगर परिषद, बून्दी

क्रमांक 8926-1

दिनांक 20/02/2018

ई निविदा सूचना

समस्त सम्बन्धित कार्य हेतु पंजीकृत ठेकेदारान सक्षम श्रेणी ('डी' 'सी' 'बी' 'ए' एवं 'एए') के ठेकेदारान से मुहरबंद निविदायें कार्य की 21/2/18 से आनलाईन विक्रय की जावेगी। निविदाएं दिनांक 16/3/18 को दिन के 3.00 बजे तक प्राप्त की जावेगी हैं। निविदाएं दिनांक 20/3/18 को 4.00 बजे आनलाईन खाली जावेगी। किसी भी निविदा को स्वीकार करने व बिना कारण बताये अस्वीकार करने का समस्त अधिकार अधोहस्ताक्षर कर्ता के पास सुरक्षित है। उक्त निविदा को sppp.rajasthan.gov.in / eproc.rajasthan.gov.in पर देखी जा सकती है।

क्र.सं	कार्य का नाम	अनुमानित लागत	घरोहर राशि	निविदा शुल्क	कार्यपूर्ण करने की अवधि
1	वार्ड नं02 में ग्राम कुमावत की होटल से सलाम के मकान तक सी सी / पुलिया निर्माण कार्य	9.98 लाख रु0	2% 19960/- ½% 4990/-	500/-	2 माह
2	वार्ड नं0 2 में देवनारायण डेयरी से सलीम के मकान तक सी सी	13.42 लाख रु0	2% 26840/- ½% 6710/-	500/-	2 माह
3	वार्ड नं0 15 में प्रतीक के मकान से सत्यप्रकाश के मकान तक सी सी	13.21 लाख रु0	2% 26420/- ½% 6605/-	500/-	2 माह
4	वार्ड नं015 में प्रेस की दुकान से हरविंदर के मकान तक सी सी	12.90 लाख रु0	2% 25800/- ½% 6450/-	500/-	2 माह
5	वार्ड नं 015 में मालियों की गली बालाजी मन्दिर से रामवरुण पंडित जी तक सी सी	9.89 लाख रु0	2% 19780/- ½% 4945/-	500/-	2 माह
7	नाल निर्माण तलाई क्षेत्र से लंका गेट तक	50.00 लाख रु0	2% 100000/- ½% 25000/-	1000/-	6 माह

शर्तें :

- कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व एवं समाप्ति पर कार्य के फोटो प्राक कार्यालय में जमा कराने होंगे।
- कार्य स्वीकृत होन पर एप्रोमेन्ट नियमानुसार नोन ज्यूडिशियल स्क्वाय पेपर कार्यालय में 15 दिवस में प्रस्तुत करने होंगा।
- बिना कारण बताये निविदा स्वीकार/अस्वीकार करने का पूर्ण अधिकार समापति एवं आयुक्त नगर परिषद बून्दी में निहित होगा।
- अन्य शर्तें कार्यालय समय व कार्य दिवस में देखी जा सकती हैं।
- निविदा में प्रस्तुत दर प्रचलित बीएसआर जिस पर निविदा आधारित है से जितना प्रतिशत कम आयेगी उतनी ही अन्तर राशि विभाग में कार्यदिश जारी करने से पूर्व जमा करानी होगी जो वास्तविक कार्य पूर्णता तिथि से 28 दिन बाद कार्य संतोषजनक होने पर लौटाई जावेगी।
- गारंटी पीरियड समाप्त होने के बाद एस.डी. अमानत का भुगतान सहायक/अधिसायी अभियंता कार्यगुणवता की रिपोर्ट होने के बाद ही भुगतान किया जावेगा।
- संबंधित को राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम 2012 एवं नियम 2013 प्रावधानों की पालना करनी होगी
- EPF/ESI आदि नियमों की पालना की जानी है।

समापति
नगर परिषद, बून्दी

आयुक्त
नगर परिषद बून्दी